

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	14]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No.	14]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

सं. एस-27019/1/1993-सीएल.—भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 24 जनवरी, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी, 2017 के आदेश सं. एस-17019/1/93 के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बाल एवं किशोर श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को भी शामिल करती है:

(1) श्री संजय साईनाथ, पुत्र/ स्व. द्वारिका नाथ, मुंबई विलेपार्ले(ई.), महाराष्ट्र 400 057. सदस्य

(2) श्री भुजेन्द्र गंगवार, पुत्र/श्री चंद्र पाल सिंह, गांव पाचपेड़ा पोस्ट पैगा, तहसील नवाबगंज, जिला-बरैली, उत्तर प्रदेश।

सदस्य

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कल्पना राजसिंघोट, संयुक्त सचिव

4737 GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT RESOLUTION

New Delhi, the 13th August, 2018.

No. S-27019/1/1993-CL.—In partial modification of Order No.S-27019/1/93-CL, dated 20th January, 2017 of the Government of India in the Ministry of Labour, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 24th January 2017, the Central Government hereby also includes the following as Members in the Central Advisory Board on Child and Adolescent Labour:

(1) Shri Sanjay Sainath, S/o. Late Dwarika Nath, Mumbai Vileparle (E), Maharashtra 400 057 Member

(2) Shri Bhujendra Gangwar, S/o Shri Chander Pal Singh, Village Pachpeda Post Paiga, Tehsil Nawabganj, Dist. Bareilly, U.P. Member

This issues with the approval of Competent Authority.

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.